झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
अधिसूचना

राँची, दिनांक 20.6.19

संख्या–15 / नीति नि०–07–04 / 2014 का०–4871 / माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Civil Appeal No.-7423-7429/2018[Arising out of SLP(Civil) No.-19832-19838] नरेन्द्र कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–01.08.2018 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–1348 दिनांक–13.02.2015 द्वारा अधिसूचित 'झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015' के नियम–3(ग) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों के अधीन उक्त नियमावली में निम्नवत् संशोधन / अन्तःस्थापन किया जाता है:–

(1) **नियम 3(क)(i)–**

पूर्व में अंकित प्रावधान	संशोधित प्रावधान
कर्नाटक सरकार एवं अन्य बनाम उमादेवी एवं अन्य (सिविल अपील संख्या–3595–3612 / 99, 1861–2063, 3849 / 2001, 3520–24 / 2002 तथा 1968 / 2006) में दिनांक–10.04.2006 को पारित न्यायादेश की तिथि को आधार तिथि मानते हुए उक्त तिथि के पूर्व न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों के द्वारा पारित आदेश से आच्छादित मामलों को छोड़कर सृजित पदों के विरूद्ध कार्यरत एवं कम–से–कम 10 वर्षों की लगातार सेवा करने वाले अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमितीकरण पर विचार किया जा सकेगा।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Civil Appeal No.-7423-7429/2018 [Arising out of SLP(Civil) No.-19832-19838] नरेन्द्र कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–01.08.2018 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में **प्रस्तुत संशोधन संबंधी अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि को आधार तिथि मानते** हुए उक्त तिथि के पूर्व न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों के द्वारा पारित आदेश से आच्छादित मामलों को छोड़कर सृजित पदों के विरूद्ध कार्यरत एवं कम–से–कम 10 वर्षों की लगातार सेवा करने वाले अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमितीकरण पर विचार किया जा सकेगा।

(2) **नियम 3(ख)(viii)–**

पूर्व में अंकित प्रावधान	संशोधित प्रावधान
नियुक्ति प्राधिकार प्राप्त सूची के आधार पर उम्मीदवारों की सेवा नियमितीकरण के मामले पर इस नियमावली के लागू होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर निर्णय लेगा।	मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित सूची के आधार पर उम्मीदवारों की सेवा नियमितीकरण की कार्रवाई नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जायेगी। **प्रस्तुत संशोधन संबंधी अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि को 10 वर्षों की लगातार सेवा पूरी करने वाले** वैसे सभी अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों, जो 'झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015' में निर्धारित अन्य सभी शर्त्तों को पूरा करते हों, के सेवा के नियमितीकरण पर विचार कर लिये जाने तक यह नियमावली प्रभावी मानी जायेगी।

(3) **नियम 3(ग) 'अन्यान्य' के अन्तर्गत अंतिम उपकंडिका का अन्तःस्थापन –**

सेवा नियमितीकरण की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों से आवेदन प्राप्त करने की अधिकतम अवधि 06 (छः) माह होगी।

(4) यह संशोधन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

(5) "झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015" के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

20/6/19

(के० के० खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–15 / नीति नि०–07–04 / 2014 का०– 4871 / राँची, दिनांकः– 20.6.19

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

20/6/19

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–15 / नीति नि०–07–04 / 2014 का०– 4871 / राँची, दिनांकः– 20.6.19.

प्रतिलिपि– सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त / महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड, उच्च न्यायालय, राँची / झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/6/19

सरकार के अपर मुख्य सचिव।